

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश ::--

भोपाल, दिनांक- 02/01/2018.

क्रमांक- 06 /669/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं/समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "आन-लाईन" प्रस्तुत आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 07/12/2017 तथा विलंब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15/12/2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।


5. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारंभ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

सरल क्रमांक	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
2	समिति का नाम	गुण कीर्ति शिक्षा समिति, बैतूल
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	पं. जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, आमला (बैतूल)
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	एम.एस.सी.(पूर्वाद्ध)माईकोबायोलॉजी, एम.एस.सी.(पूर्वाद्ध) रसायनशास्त्र तथा एम.कॉम.(पूर्वाद्ध)
5	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम/विषय	—

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”


  
(डॉ मनोज कुमार-सिंह)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक— 07 / 669 / आउशि / सम्बद्धता / 17.

भोपाल, दिनांक— 03/01/2017.

प्रतिलिपि :-

- 1— विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी / माननीय राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
  - 2— अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
  - 3— वि.क.अ. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
  - 4— विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
  - 5— क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, भोपाल—नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल, (म0प्र0)।
  - 6— कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
  - 7— प्राचार्य, अग्रणी शासकीय ज0ह0 महाविद्यालय, बैतूल (म0प्र0)।
  - 8— संबंधित संस्था के अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 02/01/2018.

क्रमांक- 04/669/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्राक्धानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं/समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "आन-लाईन" प्रस्तुत आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 07/12/2017 तथा विलंब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15/12/2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।


5. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारंभ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

सरल क्रमांक	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
2	समिति का नाम	न्याय दर्शन एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसायटी, आष्टा (सीहोर)
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	ग्रीन फील्ड कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, आष्टा (सीहोर)
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	बी.ए.-प्रथम वर्ष में अतिरिक्त विषय-अंग्रेजी साहित्य, अर्थशास्त्र तथा हिन्दी साहित्य, एम0एससी0 पूर्वाह्न -भौतिकशास्त्र, एम0कॉम पूर्वाह्न तथा एम0एससी0 पूर्वाह्न -कम्प्यूटर साईंस,
5	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम/विषय	एम0एससी0 उत्तरार्द्ध -वनस्पतिशास्त्र, एम0एससी0 उत्तरार्द्ध - प्राणीशास्त्र, तथा एम0ए0 उत्तरार्द्ध अंग्रेजी

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”


  
(डॉ. मनोज कुमार सिंह)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक— 05 /669/आउशि/सम्बद्धता/17.

भोपाल, दिनांक— 02/01/2017.

प्रतिलिपि :-

- 1— विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/माननीय राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  - 2— अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
  - 3— वि.क.अ. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
  - 4— विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
  - 5— क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, भोपाल—नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल, (म0प्र0)।
  - 6— कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
  - 7— प्राचार्य, अग्रणी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर (म0प्र0)।
  - 8— संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पौचर्वी मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 02/01/2018.

क्रमांक- 02 / 659 /आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं (कंपनी/ट्रस्ट/समिति) द्वारा नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु "आन-लाईन" प्रस्तुत आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 07/12/2017 तथा विलंब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15/12/2017 तक प्राप्त किये गये।

4. कंपनी/ट्रस्ट/समिति के द्वारा प्रस्तुत नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।

5. संस्थाओं से प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा विश्वविद्यालय से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा, उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	विश्वविद्यालय का नाम	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
2	कंपनी/ट्रस्ट/समिति का नाम	वैष्णो श्री एजुकेशन एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी, गंज बासौदा जिला- विदिशा
3	नवीन अशासकीय महाविद्यालय का नाम	वैष्णो श्री एजुकेशन कॉलेज, ग्राम-भटनी, गंज बासौदा जिला- विदिशा
4	नवीन अशासकीय महाविद्यालय हेतु मान्य पाठ्यक्रम	बी.ए.- प्रथम वर्ष (आ.पा., राजनीतिविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र), बी.बी.ए.- प्रथम वर्ष, बी.सी.ए.- प्रथम वर्ष तथा बी.कॉम.-प्लेन- प्रथम वर्ष अतिरिक्त विषय-, कम्प्यूटर एप्लीकेशन सहित.

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”



(डॉ. मनोज कुमार सिंह)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक— 03 / 659 / आउशि / सम्बद्धता / 17.

भोपाल, दिनांक— 02/01/2018.

प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी / माननीय राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 2- अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 3- वि.क.अ. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 5- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल, (म0प्र0)।
- 6- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 7- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय कन्या महाविद्यालय, विदिशा (म0प्र0)।
- 8- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 11/01/2018.

क्रमांक- 319 /295/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने का नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं/समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "आन-लाईन" प्रस्तुत आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 07/12/2017 तथा विलंब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15/12/2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।


5. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारंभ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

सरल क्रमांक	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
2	समिति का नाम	श्री सत्यसाई ट्रस्ट, भोपाल
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	श्री सत्यसाई महिला महाविद्यालय, भोपाल
4	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम/विषय	बी.ए.एल.एलबी. - तृतीय वर्ष तथा एल.एलबी.- तृतीय वर्ष

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
(डॉ मनोज कुमार सिंह)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक— 320 /295/आउशि/सम्बद्धता/17.  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक— 11/01/20

- 1— विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/माननीय राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  - 2— अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
  - 3— वि.क.अ. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
  - 4— विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
  - 5— क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, भोपाल—नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल, (म0प्र0)।
  - 6— कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
  - 7— प्राचार्य, अग्रणी शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
  - 8— संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
  - 9— वि.क.अ., उच्च शिक्षा (आई.टी. सैल), भोपाल की और विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने हेतु।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.



**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 11 /01/2018.

क्रमांक- 317 /279/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं/समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "आन-लाईन" प्रस्तुत आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 07/12/2017 तथा विलंब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15/12/2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।


5. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारंभ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

सरल क्रमांक	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
2	समिति का नाम	भोपाल लेबर कॉलेज सोसायटी, भोपाल
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	इन्वोवेटिव कॉमर्स कॉलेज, भोपाल
4	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम/विषय	बी.कॉम.- प्लेन तृतीय वर्ष अति.वि. कम्प्यूटर, टेक्सेशन, टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमेंट, बी.कॉम.- ऑनर्स तृतीय वर्ष (एकाउण्ट, मैनेजमेंट), बी.बी.ए.-तृतीय वर्ष

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"



(डॉ. मनोज कुमार सिंह)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 318 / 279 / आउशि / सम्बद्धता / 17.

भोपाल, दिनांक- 11 / 01 / 2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी / माननीय राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 2- अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 3- वि.क.अ. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 5- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल, (म0प्र0)।
- 6- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 7- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 8- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- 9- वि.क.अ., उच्च शिक्षा (आई.टी. सैल), भोपाल की और विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने हेतु।  
—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पौचर्वी मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 18/01/2018.

क्रमांक- **438** /61/आउशि/सम्बद्धता/18 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं/समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "आन-लाईन" प्रस्तुत आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 07/12/2017 तथा विलंब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15/12/2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।


5. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारंभ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

संक्रमांक	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
2	समिति का नाम	नव कृष्णा एजुकेशन सोसायटी, भोपाल (म.प्र.)
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, भोपाल (म.प्र.)
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	बी.एस.सी.- प्रथम वर्ष में अतिरिक्त विषय-क्लीनिकल न्यूट्रिशियन तथा फूड एण्ड न्यूट्रिशियन, पी.जी. डिप्लोमा इन डाईटेटिक्स
5	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम/विषय	बी.एस.सी.-द्वितीय वर्ष (भौतिक, गणित, रसायन शास्त्र), अतिरिक्त विषय- कम्प्यूटर साईंस बी.एस.सी.-द्वितीय वर्ष (बायोटेक्नोलॉजी, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र) अतिरिक्त विषय- कम्प्यूटर साईंस बी.एस.सी.-द्वितीय वर्ष प्लेन-अतिरिक्त कम्प्यूटर एप्लीकेशन टेक्सेशन सहित, बी.सी.ए.- द्वितीय वर्ष, बी.बी.ए. द्वितीय वर्ष

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


  
(डॉ मनोज कुमार सिंह)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पु. क्रमांक— 439/61/आउशि/सम्बद्धता/18.

भोपाल, दिनांक— 18/01/2018.

प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/माननीय राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 2- अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 3- वि.क.अ. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 5- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल, (म0प्र0)।
- 6- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 7- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 8- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- 9- वि.क.अ., उच्च शिक्षा (आई.टी. सैल), भोपाल की और विभागीय "वेबसाईट" पर अपलोड कराने हेतु।  
—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 18/01/2018.

क्रमांक- 440/78/आउशि/सम्बद्धता/18 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं/समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "आन-लाईन" प्रस्तुत आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 07/12/2017 तथा विलंब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15/12/2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।


5. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारंभ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

सरल क्रमांक	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
2	समिति का नाम	इंफोटेक एजुकेशन सोसायटी, भोपाल (म.प्र.)
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	आई ई एस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, भोपाल (म.प्र.)
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	बी.एस.सी.-प्रथम वर्ष (भौतिक, गणित, रसायन शास्त्र), बी०काम० प्रथम वर्ष प्लेन-अतिवि० टेक्सेशन सहित,
5	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम/विषय	बी०काम० द्वितीय वर्ष प्लेन-अतिवि० कम्प्युटर एप्लीकेशन सहित

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


  
(डॉ. मनोज कुमार सिंह)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक— 441 /78/आउशि/सम्बद्धता/18.

भोपाल, दिनांक— 18/01/2018.

प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/माननीय राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 2- अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 3- वि.क.अ. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 5- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल, (म0प्र0)।
- 6- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 7- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 8- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- 9- वि.क.अ., उच्च शिक्षा (आई.टी. सैल), भोपाल की और विभागीय "वेबसाईट" पर अपलोड कराने हेतु।  
—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पौचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 18/01/2018.

क्रमांक- 442/81/आउशि/सम्बद्धता/18 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं/समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "आन-लाईन" प्रस्तुत आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 07/12/2017 तथा विलंब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15/12/2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।


5. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारंभ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

सरल क्रमांक	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
2	समिति का नाम	सोसायटी फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड ह्यूमन रिसोर्स डेव्लपमेंट समिति, विदिशा (म.प्र.)
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	अशासकीय आई.आई.एच.आर.डी. कॉलेज, विदिशा (म.प्र.)
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	एम.ए.(पूर्वाद्ध)-समाजशास्त्र

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”


  
(डॉ. मनोज कुमार सिंह)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक— 443 /81/आउशि/सम्बद्धता/18.

भोपाल, दिनांक— 18/01/2018.

प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/माननीय राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 2- अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 3- वि.क.अ. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 5- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, भोपाल—नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल, (म0प्र0)।
- 6- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 7- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय कन्या महाविद्यालय, विदिशा (म0प्र0)।
- 8- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- 9- वि.क.अ., उच्च शिक्षा (आई.टी. सैल), भोपाल की और विभागीय “वेबसाईट” पर अपलोड कराने हेतु।  
—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.



**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुड़ा भवन, पौंचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 18/01/2018.

क्रमांक- **444/79/आउशि/सम्बद्धता/18** :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं/समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "आन-लाईन" प्रस्तुत आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 07/12/2017 तथा विलंब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15/12/2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।

5. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारंभ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

सरल क्रमांक	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
2	समिति का नाम	सरदार ज्ञानोदय शिक्षा समिति, पुंजी, पो. चोपना जिला- बैतूल
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	पद्मावती महाविद्यालय, पुंजी, पो. चोपना जिला- बैतूल (म.प्र.)
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	बी.ए.-प्रथम वर्ष में अतिरिक्त विषय- कम्प्यूटर एप्लीकेशन, समाजशास्त्र, भूगोल बी.एससी.-प्रथम वर्ष में अतिरिक्त विषय- प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र
5	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम/विषय	बी.ए.-द्वितीय वर्ष (आपा. अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र), बी.कॉम, प्लेन- द्वितीय वर्ष बी.एससी. द्वितीय वर्ष (आपा. भौतिकी, गणित, रसायनशास्त्र) अति.विषय - माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नॉलॉजी, कम्प्यूटर साइंस

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”




(डॉ. मनोज कुमार सिंह)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक— 445/79/आउशि/सम्बद्धता/18.

भोपाल, दिनांक— 18/01/2018.

प्रतिलिपि :-

- 1— विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/माननीय राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 2— अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 3— वि.क.अ. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
- 4— विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 5— क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, भोपाल—नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल, (म0प्र0)।
- 6— कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 7— प्राचार्य, अग्रणी शासकीय जयवन्ती हक्सर महाविद्यालय, बैतूल (म0प्र0)।
- 8— संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- 9— वि.क.अ., उच्च शिक्षा (आई.टी. सैल), भोपाल की और विभागीय “वैबसाईट” पर अपलोड कराने हेतु।  
—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पौचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 18/01/2018.

क्रमांक- 446 /83/आउशि/सम्बद्धता/18 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं/समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "आन-लाइन" प्रस्तुत आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 07/12/2017 तथा विलंब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15/12/2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।


5. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारंभ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

सरल क्रमांक	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
2	समिति का नाम	कॉमिन्जो एजुकेशन सामाजिक लोक कल्याण समिति इन्दौर (म.प्र.)
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	देहली कॉलेज, रिछाड़िया, देवनखेड़ी रोड, कन्नोद रोड आष्टा जिला-सीहोर (म.प्र.)
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	बी.ए.- प्रथम वर्ष (आ.पा. राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र), बी.एससी. - प्रथम वर्ष ( आ.पा. वनस्पति, रसायन, प्राणीशास्त्र) बी.एससी. - प्रथम वर्ष ( आ.पा. रसायन, भौतिकी, गणित)

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”


  
(डॉ मनोज कुमार सिंह)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पु. क्रमांक— 447 /83/आउशि/सम्बद्धता/18.

भोपाल, दिनांक— 18/01/2018.

प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/माननीय राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
  - 2- अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
  - 3- वि.क.अ. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
  - 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
  - 5- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल, (म0प्र0)।
  - 6- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
  - 7- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर (म0प्र0)।
  - 8- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
  - 9- वि.क.अ., उच्च शिक्षा (आई.टी. सैल), भोपाल की और विभागीय “वेबसाईट” पर अपलोड कराने हेतु।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पाँचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश ::--

भोपाल, दिनांक- 18/01/2018.

क्रमांक- **448** /80/आउशि/सम्बद्धता/18 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं/समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "आन-लार्निंग" प्रस्तुत आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 07/12/2017 तथा विलंब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15/12/2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।


5. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारंभ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

सरल क्रमांक	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
2	समिति का नाम	दीप दलितोद्धार संस्कार केन्द्र, भैंसदेही, जिला- बैतूल (म.प्र.)
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	गुलाबचंद घीडोडे कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड प्रोफेशनल आर्ट्स भैंसदेही जिला- बैतूल (म.प्र.)
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	बी.ए. प्रथम वर्ष- (आ.पा., राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र) अति. विषय - इतिहास, बी.एससी.-प्रथम वर्ष- (रसायन, वनस्पति, प्राणीशास्त्र) अति.विषय माईकोबॉयोलाजी, बॉयोटेक, गणित, भौतिकशास्त्र, कम्प्यूटर साइंस, बी.एच.एससी.-प्रथम वर्ष

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”


  
(डॉ. मनोज कुमार सिंह)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक— 448 /80/आउशि/सम्बद्धता/18.

भोपाल, दिनांक— 18/01/2018.

प्रतिलिपि :-

- 1— विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/माननीय राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 2— अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म०प्र०)।
- 3— वि.क.अ. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म०प्र०)।
- 4— विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 5— क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, भोपाल—नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल, (म०प्र०)।
- 6— कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म०प्र०)।
- 7— प्राचार्य, अग्रणी शासकीय जयवन्ती हक्सर महाविद्यालय, बैतूल (म०प्र०)।
- 8— संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- 9— वि.क.अ., उच्च शिक्षा (आई.टी. सैल), भोपाल की और विभागीय “वेबसाईट” पर अपलोड कराने हेतु।  
—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 18/01/2018.

क्रमांक- 450/43/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं/समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "आन-लाईन" प्रस्तुत आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अमिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 07/12/2017 तथा विलंब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15/12/2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।


5. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारंभ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

सरल क्रमांक	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
2	समिति का नाम	श्री गुरु हरगोविन्द सोसायटी, भोपाल (म.प्र.)
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	अशासकीय सेम कॉलेज, भोपाल (म.प्र.)
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	बी.एस.सी.-प्रथम वर्ष (भौतिक, गणित, रसायनशास्त्र) अतिरिक्त विषय-वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, कम्प्यूटर साईंस

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”


  
(डॉ. मनोज कुमार सिंह)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक— 451 /43/आउशि/सम्बद्धता/17.

भोपाल, दिनांक— 18/01/2018.

प्रतिलिपि :-

- 1— विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/माननीय राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 2— अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 3— वि.क.अ. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
- 4— विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 5— क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, भोपाल—नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल, (म0प्र0)।
- 6— कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 7— प्राचार्य, अग्रणी शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 8— संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- 9— वि.क.अ., उच्च शिक्षा (आई.टी. सैल), भोपाल की और विभागीय “वेबसाईट” पर अपलोड कराने हेतु।  
—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.



**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 18/01/2018.

क्रमांक- **452 /77/आउशि/सम्बद्धता/17** :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्ण संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं/समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "आन-लाईन" प्रस्तुत आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 07/12/2017 तथा विलंब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15/12/2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।


5. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारंभ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

सरल क्रमांक	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
2	समिति का नाम	वंशपति स्मृति शिक्षा समिति, भोपाल (म.प्र.)
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	पटेल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, भोपाल (म.प्र.)
4	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम/विषय	बी0ए0- द्वितीय वर्ष (राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र), बी0ए0- द्वितीय वर्ष (राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र), बी0एससी0- द्वितीय वर्ष- (वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र), बी0एससी0- द्वितीय वर्ष- (भौतिक, गणित, रसायनशास्त्र), बी0कॉम0- द्वितीय वर्ष कम्प्यूटर एप्ली.सहित,

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”


  
(डॉ. मनोज कुमार सिंह)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक— 453 /77/आउशि/सम्बद्धता/17.

भोपाल, दिनांक— 18/01/2018.

प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/माननीय राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
  - 2- अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
  - 3- वि.क.अ. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
  - 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
  - 5- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, भोपाल—नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल, (म0प्र0)।
  - 6- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
  - 7- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
  - 8- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
  - 9- वि.क.अ., उच्च शिक्षा (आई.टी. सैल), भोपाल की और विभागीय “वेबसाईट” पर अपलोड कराने हेतु।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 18/01/2018.

क्रमांक- **454 /76/आउशि/सम्बद्धता/17** :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं/समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "आन-लार्निंग" प्रस्तुत आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अधिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 07/12/2017 तथा विलंब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15/12/2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।


5. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारंभ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

सरल क्रमांक	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
2	समिति का नाम	मौ. सरस्वती एजुकेशन सोसायटी, भोपाल (म.प्र.)
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	विद्यापीठ इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन, भोपाल (म.प्र.)
4	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम विषय	बी.कॉम.- प्लेन तृतीय वर्ष अति.वि. कम्प्यूटर एप्लीकेशन सहित, बी.बी. ए.- तृतीय वर्ष

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”


  
(डॉ. मनोज कुमार सिंह)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक— 455 /76/आउशि/सम्बद्धता/17.

भोपाल, दिनांक— 18/01/2018.

प्रतिलिपि :-

- 1— विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/माननीय राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 2— अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 3— वि.क.अ. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
- 4— विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 5— क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, भोपाल—नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल, (म0प्र0)।
- 6— कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 7— प्राचार्य, अग्रणी शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 8— संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- 9— वि.क.अ., उच्च शिक्षा (आई.टी. सैल), भोपाल की और विभागीय “वैबसाईट” पर अपलोड कराने हेतु।  
—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पौचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 18/01/2018.

क्रमांक- 456/312/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं/समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "आन-लाईन" प्रस्तुत आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 07/12/2017 तथा विलंब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15/12/2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।

5. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारंभ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-


सरल क्रमांक	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
2	समिति का नाम	न्यू एक्टिव एजुकेशन एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल (म.प्र.)
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	अशासकीय महात्मा गांधी महाविद्यालय, कुरावर, तहसील नरसिंहगढ़ (राजगढ़) (म.प्र.)
4	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम/विषय	बी.एससी. - द्वितीय वर्ष (आ.पा., वनस्पति, रसायन, प्राणीशास्त्र) अति. विषय- गणित, भौतिकशास्त्र, कम्प्यूटर साईंस), बी.ए. (आ.पा., हिन्दी, राजनीति, समाजशास्त्र) अति. विषय इतिहास, कम्प्यूटर एप्लीकेशन.

//2//

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”

  
(डॉ. मनोज कुमार सिंह)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक— 457 /312/आउशि/सम्बद्धता/17.

भोपाल, दिनांक— 18/01/2018.

प्रतिलिपि :-

- 1— विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/माननीय राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 2— अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म०प्र०)।
- 3— वि.क.अ. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म०प्र०)।
- 4— विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 5— क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, भोपाल—नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल, (म०प्र०)।
- 6— कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म०प्र०)।
- 7— प्राचार्य, अग्रणी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजगढ़ (म०प्र०)।
- 8— संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- 9— वि.क.अ., उच्च शिक्षा (आई.टी. सैल), भोपाल की और विभागीय “वेबसाईट” पर अपलोड कराने हेतु।  
—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 18/01/2018.

क्रमांक- **458** /389/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं/समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "आन-लाईन" प्रस्तुत आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 07/12/2017 तथा विलंब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15/12/2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।

5. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारंभ करने, पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

सरल क्रमांक	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
2	समिति का नाम	ऊं साईं शिक्षा मण्डल ग्रामीण विकास समिति, खुरई (सागर)
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	श्री लखनलाल अग्निहोत्री महाविद्यालय, खुरई रोड, पठारी विदिशा
4	मान्य निरन्तरता पाठ्यक्रम/विषय	बी0ए0 तृतीय (आ.पा., अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र) अतिरिक्त विषय- कम्प्यु0 एप्ली0, बी0कॉम0-प्लेन-तृतीय

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”

(डॉ. मनोज कुमार सिंह)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पु. क्रमांक— 459 /389/आउशि/सम्बद्धता/17.

भोपाल, दिनांक— 18/01/2018.

प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/माननीय राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 2- अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 3- वि.क.अ. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 5- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल, (म0प्र0)।
- 6- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 7- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय कन्या महाविद्यालय, विदिशा (म0प्र0)।
- 8- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- 9- वि.क.अ., उच्च शिक्षा (आई.टी. सैल), भोपाल की और विभागीय “वेबसाईट” पर अपलोड कराने हेतु।  
—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.